

13

श्री प्रकाश जैन (चावल वाले)
(समाज रत्न)
चेयरमैन, दिल्ली व्यापार महासंघ (पंजी०)
मोबाईल : 9313035330



29/C

संरक्षक : कन्फेडरेशन ऑफ आल इण्डिया ट्रेडर्स
अध्यक्ष : क्रेडिटर वेलफेयर एसोसियेशन (पंजी०)
वाईस चेयरमैन : फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसियेशन आफ दिल्ली
अध्यक्ष : दिल्ली ग्रैन मर्चेन्ट्स एसोसियेशन (पंजी०)

128

कार्यालय : 524-A, लाहोरी गेट दिल्ली - 110006, दूरभाष : 23914743, 23906742

निवास : 100/202/35808, पीतम्पुरा, दिल्ली दूरभाष : 273473435, 27343436

93/112
100 (3)


100/202/35808
13/09/2012

File No. I-696
Date 17-9-12

दिनांक: 11-09-2012

1336
17/9/12

आदरणीय श्री तेजेन्द्र खन्ना जी
महामहिम उपराज्यपाल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
राज निवास, दिल्ली-110054



विषय : अनाज गोदामों को नियमित करवाने हेतु ।

महोदय,

मैं आपका ध्यान दिल्ली मास्टर प्लान 2021 की ओर दिलाना चाहता हूँ । मास्टर प्लान जनता के लिए बनाया जाता है । आपने इसमें संशोधन केलिए जनता के सुझाव माँगकर सराहनीय कार्य किया है । इस संदर्भ में हमारा मत है कि शहर व गाँवों में समान विकास होना चाहिए । परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया । सरकार ने शहरी लोगों की अनाधिकृत कालोनियों तो नियमित कर दी, लेकिन दिल्ली के ग्रामीण लोगों को कोई राहत नहीं दी । गाँव वालों को क्या कसूर है जो उनकी खेती की जमीन का डी.डी.ए.ने कौड़ियों के भाव अधिग्रहण कर उन्हें बेरोजगार कर दिया है । उनके रोजगार का कोई विकल्प उन्हें नहीं दिया गया । इस संदर्भ में हमारा सुझाव है कि :-

Forwarded
to Sr.
S.P. Bansal
Cum Pk II
(DDA) for
careful
consideration
of the
suggestion
& brief
feedback to
the undersigned.

1. नरेला P-I & P-II जोन में ग्रामीण क्षेत्र में अनाज व अन्य वस्तुओं के गोदाम बने हुए है । जिनसे दिल्ली व एन.सी.आर में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है । माननीय उच्चतम न्यायलय ने भी दिनांक 08.10.2007 को ग्रामीण क्षेत्र में बने गोदामों में कृषि उपज- चावल, दालें व अनाज भण्डारण की अनुमति दी हुई है । (छाया प्रति संलग्न है) । इनसे ग्रामीणों को रोजगार मिला हुआ है । इसलिए कलस्टर बने गोदामों को अनाधिकृत कालोनियों की भाँति नियमित

गर्व से कहो हम व्यापारी हैं ।

कमश पेज 2

Dr. Vinay
for n/a.
13.9.2012
13/9/12 AC (APR)

17/9
D/S (M/S)

19/9

प्रकाश जैन (चावल वाले)
(समाज रत्न)

जैन, दिल्ली व्यापार महासंघ (पंजी०)
फ़ाईल : 9313035330



संरक्षक : कन्फेडरेशन ऑफ आल इण्डिया ट्रेडर्स
अध्यक्ष : ग्रेडिटर वेल्फेयर एसोसियेशन (पंजी०)
वार्डस चेयरमैन : फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसियेशन आफ दिल्ली
अध्यक्ष : दिल्ली ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसियेशन (पंजी०)

कार्यालय :

524-A, लाहोरी गेट दिल्ली - 110006, दूरभाष : 23914743, 23908742

निवास :

TU 56, पीतमपुरा, दिल्ली दूरभाष : 273473435, 27343436

:: 2 ::

करने की कृपा करें। इसके लिए हम वाजिब विकास शुल्क देने को तैयार हैं। जो निर्माण हो गया है उसे गिराया नहीं जाना चाहिए। मैं आपका ध्यान केन्द्रीय शहरी विकास मन्त्री श्री कमल नाथ जी के साथ चाँदनी चौक के सांसद एवं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री श्री कपिल सिब्बल जी की दिनांक 05.10.2011 को हुई बैठक की ओर दिलाना चाहता हूँ। (कार्यवाही की छाया प्रति संलग्न है) जिसमें तय किया गया था कि उपरोक्त अनाज गोदामों का MCD प्लानिन्गनस कगिशनर, दिल्ली सरकार गांव वाइज सर्वे करेंगे। लेकिन दोनों विभागों की खीचतान के कारण यह सर्वे न होने से DDA ने भी उपरोक्त गोदामों के नियमन की नीति तैयार नहीं की और अनाज गोदामों के नियमन का मामला अधर में लटका हुआ है। राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार ने यह सर्वे करने के लिए मना कर दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उपरोक्त अनाज गोदामों के सर्वे की जिम्मेदारी MCD/DDA की समय सीमा के अन्तर्गत तय करने की कृपा करें।

2. ग्रामीणों ने लाल डोरा व लाल डोरा के बाहर जो निर्माण कर लिया है उसे स्वीकृत किया जाये ताकि वे उसमें कोई काम धंधा शुरू करके अपनी आजीविका कमा सकें।

3. ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण करते समय उन्हें जो जगह आबंटित की गई थी उसे MIX LAND USE की अनुमति होनी चाहिए

क्रमशः पेज 3

गर्व से कहो हम व्यापारी हैं।

प्रकाश जैन (घायल वाले)
(समाज रत्न)

जैन, दिल्ली व्यापार महासंघ (पंजी०)
फ़ोन : 9313035330



125-200/c

संरक्षक : कन्फेडरेशन ऑफ आल इण्डिया ट्रेडर्स
अध्यक्ष : क्रेडिटर वेलफेयर एसोसियेशन (पंजी०)
वाइस चेयरमैन : फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसियेशन आफ दिल्ली
अध्यक्ष : दिल्ली ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसियेशन (पंजी०)

कार्यालय :

624-A, लाहोरी गेट दिल्ली - 110006, दूरभाष : 23914743, 23908742

जियस :

TU 56, पीतमपुरा, दिल्ली दूरभाष : 273473435, 27343436

:: 4 ::

के थोक व्यापार के 4 भागों में विभाजित कर 4 क्षेत्रीय मार्किट स्थापित कर दी जायें, जो उचित नहीं है। दिल्ली से बाहर का व्यापारी एक ही गाड़ी में भिन्न-2 प्रकार का माल ले जाता है इसलिए दिल्ली व किराना थोक व्यापार को चारदीवारी से बाहर दिल्ली में ही अन्यत्र एक ही स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिये, जिससे दिल्ली का वितरण स्वरूप न बिगड़े। हमारा अनुरोध है कि मार्किट स्थानान्तरण की नीति निर्धारण एवं जगह आबन्धित करने में व्यापारियों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायें, ताकि नीति क्रियान्वन में परेशानी न हो। उपरोक्त संदर्भ में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर वार्ता करना चाहता है। आपसे निवेदन है कि अपने व्यस्त समय में से कुछ समय वार्ता हेतु निर्धारित कर, सूचित करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद ,

भवदीय

ओम प्रकाश जैन

(ओम प्रकाश जैन घायल वाले)

गर्व से कहो हम व्यापारी हैं।